

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री
दानबहादुर सिंह



पैरोकार हे०का०
रुपनाथ यादव

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बलात्कार के अभियुक्त को मा०न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा ने दिनांक 21.09.2021 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने पर मु०अ०स० 261/21 धारा 376/506 भादवि थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 02.04.2025 को माननीय न्यायालय एसजे/एफटीसी प्रथम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।
- अभियुक्त को 20,000 रुपये अर्थदण्ड।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- राहुल कुमार उर्फ आशीष कुमार पुत्र बैजनाथ नि० कादीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी